राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS/WAM/ 1563 दिनांक 29/6/2026

परिपत्र

विषय :– **निर्माण विभागों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित बिल बनाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश।**

वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने के उद्देश्य से IFMS 3.0 के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्रियाएँ संचालित की गई हैं। इसके अन्तर्गत निर्माण कार्यों से संबंधित ऑनलाइन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, BOQ (Bill of Quantity), Sanction ID, कार्यादेश जारी किये जाने एवं ऑनलाइन मेजरमेन्ट बुक तैयार किये जाने की प्रक्रियाएँ पूर्व से ही IFMS 3.0 के अन्तर्गत संचालित हो रही हैं।

इसी क्रम में IFMS 3.0 पर निर्माण खण्डों/वन खण्डों में निर्माण कार्यों से संबंधित भुगतान बिल बनाये जाने की प्रक्रिया दिनांक 11.05.2026 से चयनित निर्माण खण्डों/वन खण्डों में पायलट आधार पर लागू की गई थी।

पायलट आधार पर चयनित निर्माण खण्डों/वन खण्डों में IFMS 3.0 पर निर्माण कार्यों से संबंधित बिल बनाये जाने की प्रक्रिया के परीक्षण उपरान्त उक्त प्रक्रिया निर्माण विभागों/वन विभाग से सम्बद्ध सभी निर्माण खण्डों/वन खण्डों में दिनांक 10.07.2026 से लागू की जा रही हैं।

सभी निर्माण खण्डों/वन खण्डों हेतु निर्माण कार्यों से संबंधित बिल बनाने एवं ई–ग्रास/RMS इन्टीग्रेशन के माध्यम से चालान बनाने की सुविधा दिनांक 10.07.2026 से वर्तमान WAM Module पर उपलब्ध नहीं होकर IFMS 3.0 पर उपलब्ध रहेगी। माह जून 2026 का मासिक लेखा संकलन एवं महालेखाकार कार्यालय को निर्माण लेखे प्रेषण का कार्य वर्तमान WAM मॉड्यूल से किया जा सकेगा। इस हेतु सभी निर्माण विभागों एवं अन्य सम्बद्ध Stakeholders द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :–

1. **निर्माण विभाग/वन विभाग के स्तर पर :–**
   (i) सभी निर्माण खण्डों/वन खण्ड द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित सभी प्रकार के भुगतान बिल IFMS 3.0 के अन्तर्गत उपलब्ध ''बिल सैक्शन'' में उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से तैयार किये जायेंगे।

   (ii) सभी निर्माण खण्डों/वन खण्ड को वर्तमान WAM Portal पर उपलब्ध सभी सुविधाएं/रिपोर्ट्स IFMS 3.0 पर उपलब्ध रहेंगी।

   (iii) सभी निर्माण खण्डों द्वारा सभी प्रकार के निर्माण कार्य संबंधी बिल बनाने, निर्माण लेखों का मिलान किये जाने, चालान जनरेट करने, संचालन पोर्टल/एस.एन.ए.–स्पर्श से प्राप्त कटौतियों को निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने, RMS इन्टीग्रेशन के माध्यम से निर्माण कार्यों से संबंधित मदों में जमा चालान निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने आदि का कार्य IFMS 3.0 के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा।

(iv) नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत IFMS 3.0 में जनरेट बिल, खण्डीय कार्यालय से सम्बद्ध कोषालय को प्रेषित किये जायेंगे, अतः निर्माण खण्डों/वन खण्डों द्वारा संवेदक/ठेकेदार की WAM पर प्रदर्शित बैंक डिटेल की पूर्ण जाँच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावेगी।

(v) IFMS 3.0 पर निर्माण कार्यों से संबंधित बिलों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने हेतु IFMS 2.0 से खण्डीय कार्यालयों का पूर्ण डेटा माईग्रेट किया जायेगा। खण्डीय कार्यालय स्तर पर IFMS 3.0 में माईग्रेट किए गए समस्त डेटा की पूर्ण जाँच सुनिश्चित कर ही बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी।

(vi) IFMS 3.0 में बिल बनाने की प्रक्रिया में Maker, Checker, Approver की व्यवस्था स्थापित रहेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त भूमिकाओं हेतु नियमानुसार सिस्टम पर Role Assign किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(vii) सभी निर्माण खण्डों द्वारा दिनांक 09.07.2026 तक WAM मॉड्यूल पर प्रोसेस किये गये ऐसे बिल जो पे–मैनेजर पर Fetch नहीं किये गये हैं, उन्हें निर्माण खण्ड स्तर पर निरस्त किया जाकर पुनः IFMS 3.0 के माध्यम से ही प्रोसेस किया जा सकेगा।

(viii) सभी निर्माण खण्डों द्वारा माह जून 2026 तक निर्माण कार्य बिलों से की गई GST-TDS की कटौती के समायोजन हेतु तैयार किये जाने वाले GST-TDS Adjustment bills दिनांक 06.07.2026 तक आवश्यक रूप से वर्तमान सिस्टम से तैयार कर कोषालयों को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2. <u>एन.आई.सी. के स्तर पर :–</u>

(i) एन.आई.सी. द्वारा IFMS 3.0 के अन्तर्गत निर्माण खण्डों/वन खण्डों हेतु सभी प्रकार के निर्माण कार्य से संबंधित बिल बनाये जाने, सभी सम्बद्ध रिपोर्ट्स उपलब्ध कराये जाने, खण्डीय कार्यालय को वर्तमान में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ/विकल्प उपलब्ध कराये जाने, RMS इन्टीग्रेशन के माध्यम से चालान जनरेशन, अन्य पोर्टल से निर्माण लेखों में सम्मिलित किये जाने वाले संव्यवहारों को शामिल किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु आवश्यक इन्टीग्रेशन भी समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

(ii) कोषालयों को निर्माण लेखों का कोषालय लेखों से मिलान एवं निर्माण लेखे महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किए जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी। इसी के साथ सभी कोषालयों को खण्डीय कार्यालयों से संबंधित वर्तमान में उपलब्ध सभी विकल्प IFMS 3.0 पर उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) एन.आई.सी. द्वारा महालेखाकार कार्यालय, निर्माण विभागों एवं निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग को वर्तमान में उपलब्ध सभी विकल्प एवं रिपोर्ट्स उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(iv) एन.आई.सी. द्वारा IFMS 3.0 पर बिल जनरेशन, लेखों के मिलान, महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रेषण संबंधी यूजर मैन्युअल एवं प्रक्रिया का विडियो IFMS 3.0 के Dash board पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(v) निर्माण खण्ड/वन खण्डों द्वारा ऑनलाइन Sanction ID, कार्यादेश एवं MB प्रक्रिया में भुगतान हेतु तैयार किए गए Abstract के आधार पर IFMS 3.0 में बिल बनाने की सुविधा Bills section में उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) एन.आई.सी. द्वारा निर्माण खण्डों/वन खण्डों से संबंधित गत वर्षों एवं पूर्व का समस्त डेटा (यथा स्कीम, कार्य, कार्यादेश, संवेदक, डिपोजिट मदों का शेष आदि) यथा समय माईग्रेट कर IFMS 3.0 पर कार्य करने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। निर्माण खण्ड/वन खण्डों को बिल बनाने से पूर्व सभी डेटा की जाँच कर प्रमाणित करने हेतु एक चैक लिस्ट सिस्टम पर उपलब्ध करायी जायेगी।

3. **निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग स्तर पर :–**

निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा निर्माण कार्यों से संबंधित बिल IFMS 3.0 पर बनाये जाने संबंधी प्रक्रिया में निर्माण खण्डों/वन खण्ड को आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान तकनीकी टीम के सहयोग से कराया जाकर प्रक्रिया का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित किया जावेगा।

उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य सभी प्रावधान वित्त (जी.एण्ड.टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(3)FD/GF&AR/2014 दिनांक 18.03.2016 एवं वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग के परिपत्र एफ.5(थ–75)IFMS/WAM/266 दिनांक 24.04.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही रहेगें। उक्त प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हैल्प डेस्क नम्बर 0141–2743753 एवं ई–मेल आई.डी. ifms-wam-rj@nic.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/सिविल लेखा परीक्षा/वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर
5. उपशासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (वित्तीय नियम) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–I/II/III/IV/V) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
10. निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, जयपुर।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी
14. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (ट्रेजरी) वित्त भवन, जयपुर।
15. संयुक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
16. तकनीकी निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. (वॉम) वित्त भवन, जयपुर।

25/6/2026

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव